

21/5/20

लम्बी अवधि के बाद अभिलेख उपस्थापित! संबंधित जमाबन्दी रैयत को पुनः नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें। उनसे कारण पृच्छा करें कि क्यों नहीं जमाबन्दी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक... 09/06/20... 2020 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
बलियापुर।


09-06-20

14-07-20

अभिलेख उपस्थापित। आवेदन का नोटिस तामिला के पश्चात कार्यालय में आवेदन देख उपस्थित हुए तथा भूमि संबंधी रिम्न राजस्व कागजात प्रस्तुत किया - ① जमीन बन्दोबस्ती पर्चा की दाय्याप्रति ② लगान रसीद की दाय्याप्रति ③ दल सर्वे खंतिथान की दाय्याप्रति ④ दखल दिहानी पत्र की दाय्याप्रति।

उक्त राजस्व कागजातों की मूल प्रति आवेदन से मांगा गया जो प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसा करते हुए अभिलेख (मूल में) भूमि सुधार उप समाहता, धनबाद की भेजे।


अंचल अधिकारी
बलियापुर